

15

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/भौतिक/स्थानान्तरण/2020-21/1-176 दिनांक- 04.01.2021 के तहत श्री विजेन्द्र कुमार, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) राउमावि घोड़ीवाडा खुर्द (झुन्झुनूं) का स्थानान्तरण सेठ किशन लाल काकरिया राउमावि नागौर किया गया। श्री विजेन्द्र कुमार ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 372/2021 श्री विजेन्द्र कुमार बनाम निदेशक, माध्य. शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 372/2021 में माननीय अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2021 द्वारा अपीलार्थी श्री विजेन्द्र कुमार को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधि अनुसार अपीलार्थी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत संबंधी आदेश दिए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री विजेन्द्र कुमार द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विभागीय दिशा निर्देशों के अन्तर्गत निस्तारित कर अपना पदस्थापन 1.राउमावि विरमी (झुन्झुनूं) (नव सृजित पद) 2.राउमावि केड (उदयपुरवाटी) झुन्झुनूं (नव सृजित पद) की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2021 एवं राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। यह विधि सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी नवीन पदस्थापन स्थान पर 23.01.2021 को कार्यग्रहण कर चुका है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-3/भौगकृ/अभ्यावेदन/विजेन्द्र कुमार/अपील सं. 372/2021/10 दिनांक: 17-03-21

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।

7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

8. संबंधित प्राधानाचार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर